2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सौदानसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 18 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सौदानसिंह पुत्र गजधरसिंह पता राजीव गांधी कोलानी, (चांदणा भाकर) सोमानी कॉलेज रोड़, नई मस्जिद के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.12.18 में उसके द्वारा (1) पटवार मण्डल चांदेलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर से संबंधित गांव चांदेलाव के ख.नं. 441 में सम्पूर्ण तरमीम किये गये खसरों की प्रमाणित नक्शे की प्रमाणित नकल , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 25 दिनांक 18.01.19 (अपील सं0 17 / 19 सलंग्न) प्राप्त हो चुकी है जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है। रिपोर्ट के साथ प्रार्थी को भेजी सूचना का पत्रांक 24 दिनांक 18.01.19 की प्रति भी संलग्न प्रेषित की है। चूकि अपीलार्थी को सूचना अपील दायर करने के पश्चात् दी गई है, जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयावधि में करें। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित किये जाने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	